

पकड़ा गया 686 करोड़ की नशीली दवाओं का मुख्य आरोपित गोविंद गुप्ता



Publish Date: Tue, 17 Aug 2021 06:31 PM (IST) Author: **Rahul Srivastava**

ठूठीबारी पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने 686 करोड़ रुपये के नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में 25000 रुपये के इनामी व मुख्य अभियुक्त गोविंद प्रसाद गुप्ता को मरचहवा रोड पर बंधा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता : महाराजगंज जिले की ठूठीबारी पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने 686 करोड़ रुपये के नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में 25000 रुपये के इनामी व मुख्य अभियुक्त गोविंद प्रसाद गुप्ता को मरचहवा रोड पर बंधा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वह घटना के दिन से ही फरार चल रहा था।

चार अगस्त को पकड़ा गया था एक आरोपित

पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बीते चार अगस्त को जमुई कला गांव में अवैध नशीली दवाओं का धंधा करने वाले तथा अपने मकान में भारी मात्रा में दवा रखने वाले एक अभियुक्त रमेश कुमार गुप्ता को दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। जबकि दूसरा अभियुक्त गोविंद प्रसाद गुप्ता फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध इनाम घोषित करते हुए पुलिस मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। थानाध्यक्ष ठूठीबारी संजय दुबे बीती रात गश्त पर थे।

नेपाल भागने की फ़िराक में था गोविंद प्रसाद

सूचना मिली की अभियुक्त गोविंद प्रसाद गुप्ता निवासी जमुई कला थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज पुलिस से छिपकर नेपाल भागने की फ़िराक में हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष ठूठीबारी ने एसओजी टीम के साथ मरचहवा रोड पर पहुंचे, जहां अभियुक्त को बंधा तिराहे के पास से पकड़ लिया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने घर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा इंजेक्शन सिरप, टेबलेट आदि रखने और पुलिस से बचने के लिए नेपाल भागने की बात स्वीकार की।

सिसवा और गोरखपुर से करता था खरीद-फरोख्त, जांच कर रही एसआइटी

पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि वह अपने घर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं, इंजेक्शन, सिरप, टेबलेट अच्छे दामों पर बिकने वाली दवाएं, इंजेक्शन के रैपर को छुड़ाकर नया और अधिक दाम का रैपर लगाकर अपने घर व गोदाम से बेचता था। अभियुक्त द्वारा नशीली दवाओं व इंजेक्शन की सप्लाई आम जनमानस व पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी की जाती थी। जिन दवाओं की समय सीमा समाप्त हो जाती थी तो उसे अपना रैपर बदल कर नया मूल्य का रैपर नई समय सीमा लगाकर बेचते थे।

इंजेक्शन, सिरप, टेबलेट प्राप्त होती थी सिसवा बाजार से

अभियुक्त ने बताया कि सभी प्रतिबंधित नशीली दवाइयां, इंजेक्शन, सिरप टेबलेट और रैपर कुछ मेडिकल एजेंसी सिसवा बाजार से प्राप्त होती थी। एक व्यक्ति अंकित सिंह निवासी कोल्हुई बाजार थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज, जिसकी आदित्य ड्रग एजेंसी गोरखपुर में है। अभियुक्त वहीं से खरीद-फरोख्त करता था तथा यहीं से उपलब्ध कराता था। एसपी ने बताया कि प्रकाश में आए नामों की जांच के लिए एसआइटी टीम का गठन किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

उप निरीक्षक संजय दुबे थानाध्यक्ष ठूठीबारी, निरीक्षक आशुतोष सिंह प्रभारी एसओजी टीम, उपनिरीक्षक भगवान बक्श सिंह, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील यादव, प्रभाकर सिंह, ओम प्रकाश यादव, रामभरोस यादव, विद्यासागर, धनंजय सिंह, अजय यादव, विनीत कुमार, संजय कुमार शामिल रहे।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/gorakhpur-city-govind-gupta-the-main-accused-of-drugs-worth-686-crores-caught-21935645.html>